

नियम 156 : न्यायालय के माध्यम से वसूली

जहां किसी रकम की ऐसे वसूली की जानी है जैसे कि यह दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन अधिरोपित जुर्माना हो, वहां उचित अधिकारी धारा 79 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के उपबंधों के अनुसार समुचित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्ररूप जीएसटी डीआरसी-19 में संबंधित व्यक्ति से तद्धीन विनिर्दिष्ट रकम की वसूली के लिए एक आवेदन करेगा, जैसे कि यह उसके द्वारा अधिरोपित एक जुर्माना हो।
